न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़
आर०एम०आर० नं०-10/2008

111

डिंगाई सोरेन
बनाम
गोपाल दत्ता वगैरह।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

11.02.2016

यह रिविजन वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दिनांक 26.07.2008 को पी०ए० वाद सं०-02/2005-06 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि मौजा-चकलखनपुर, थाना-हिरणपुर, जिला-पाकुड़ के खतियानी ग्राम प्रधान कान्हू मुर्मू थे। उनके मृत्यु के बाद सूचन मुर्मू ग्राम प्रधान नियुक्त हुये थे। सूचन मुर्मू के मृत्यु के बाद उनके विधवा पत्नी एवं पूर्व के खतियानी प्रधान कान्हू मुर्मू के भाई के साथ प्रधान नियुक्ति को लेकर विवाद होने के फलस्वरूप विपक्षी नं०-1 के पिता निरंजन दत्ता को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा-5 के तहत ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया था।

विपक्षी नं०-1 अपने पिता के मृत्यु के बाद वंशानुगत के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा-6 के तहत ग्राम प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया था। लेकिन विपक्षी चकलखनपुर गांव में नहीं रहते है। वे स्थायी रूप से सुन्दरपुर में घर बनाकर रह रहे है एवं स्थायी व्यवसाय भी करते है। चकलखनपुर से सुन्दरपुर की दूरी 9 कि०मी० है। मौजा-सुन्दरपुर के वर्ष 1985-86 के वोटर लिस्ट में उनका नाम भी है। वे चकलखनपुर गांव का वोटर नहीं है। विपक्षी नं०-1 के द्वारा मौजा-चकलखनपुर का वर्ष 2001-02 का वोटर बताकर ग्राम प्रधान नियुक्त हुआ है। किन्तु वे चकलखनपुर का निवासी नहीं है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय 1998 P.L.J.R. page- 43 एवं 1997 P.L.J.R. page-318 का हवाला देते हुए कहा गया कि संथालपरगना काश्तकारी अधिनियम की धारा-5 अथवा 6 के तहत ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के शिड्यूल-V के तहत ग्राम प्रधान गांव का निवासी होना चाहिए अथवा एक मील के अन्दर घर होना चाहिए अन्यथा आवेदक को अनुपयुक्त माना जायेगा। उनका यह भी कहना है कि प्रधान गांव का ही होना चाहिए। उन्हें गांव के हर सामाजिक कार्यो के साथ गांव के लोगों का विवाद आदि का निष्पादन गांव के लोगों के साथ

Scanned with CamScanner

पंचायती के माध्यम से करना होता है। लेकिन जो व्यक्ति गांव के स्थायी निवासी नहीं है उसे ग्राम प्रधान नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। राजस्व अधिकारी को इस पर संतुष्ट हो लेना चाहिए।

विपक्षी नं0–1 मौजा–चकलखनपुर के स्थायी निवासी नहीं है। उसका सुन्दरपुर में स्थायी घर है। वे वहां रहकर व्यवसाय करते है। इनका यह भी कहना है कि विपक्षी–02 भी प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिये थे। लेकिन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के नियम–13 के तहत कोई सूचना निर्गत नहीं किया गया था और न ही संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के शिड्यूल–V के तहत विपक्षी नं0–1 श्री गोपाल दत्ता का निवास स्थान के संबंध में नियम का अनदेखी कर विपक्षी नं0–1 श्री गोपाल दत्ता को गलत रूप से ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि पूर्व में भी रिभीजन वाद दायर गया गया था, जिसमें तत्कालीन विज्ञ उपायुक्त के द्वारा इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि प्रधान नियुक्ति के पूर्व मौजा के रैयतों की आम सहमति भी आवश्यक है, जो इस वाद में निम्न न्यायालय द्वारा नहीं प्राप्त की गई। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा इसका अनुपालन न कर दिनांक 26.07.2006 का विपक्षी नं0–1 श्री गोपाल दत्ता को ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक द्वारा विपक्षी नं0–1 के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में आर0ई0आर0 वाद सं0–05/2005–06 दायर किया गया था। जिसे विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा खारिज किया गया है। उस आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता हिंगाई सोरेन के द्वारा उपायुक्त, पाकुड़ के न्यायालय में रेभ0मिस0अपील वाद सं0–03/2007 दायर है। जिसमें विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपने बहस में विपक्षी नं0–1 श्री गोपाल दत्ता को ग्राम चकलखनपुर का निवासी दिखाया है। विपक्षी नं0–1 एवं उसका भाई का मौजा–चकलखनपुर, थाना–हिरणपुर में खेती जमीन है। इनलोगों के द्वारा मौजा–चकलखनपुर के दाग नं0–193 एवं 194 पर आवेदक के चाचा से दाग नं0–96 के 0–6–0 (छः कट्ठा जमीन) गलत रूप से बदलेन कर मिट्टी का घर बनाया है। जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के उच्छेदी R.E.R. वाद सं0–05/2005–06 में विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा उच्छेदी आदेश दिया गया है। उस आदेश के विरूद्ध उपायुक्त, पाकुड़ के न्यायालय में रेभ0मिस0अपील नं0–03/2007 लंबित है। आवेदक के द्वारा विपक्षी नं0–1 तथा उनके तीनों भाईयों का पता मूल आवेदन में चकलखनपुर दिखाया गया है। ये लोग आवेदक हिंगाई सोरेन के दादा का मौजा–चकलखनपुर के जमाबन्दी नं0–08 के जमीन पर रह

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

रहे है।

आवेदक का वोटर लिस्ट में नाम के संबंध में कहा गया कि आवेदक का नाम बीरग्राम के वोटर लिस्ट में दर्ज है। बीरग्राम एवं चकलखनपुर सटा हुआ गांव है, जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के शिड्यूल–V के नियम के अन्तर्गत दावेदार है। लेकिन मौजा–सुन्दरपुर की दूरी चकलखनपुर से 9 कि0मी0 है। मौजा–सुन्दरपुर, थाना–हिरणपुर के वर्ष 2006 के संशोधित वोटर लिस्ट के कमांक 310 से 317 हाउस नं0–41 पर विपक्षी नं0–01 श्री गोपाल दत्ता एवं उसका पूरा परिवार का नाम है। जबकि वर्ष 1995 के वोटर लिस्ट में भी विपक्षी नं0–1 श्री गोपाल दत्ता एवं उसका पत्नी श्रीमती संध्या दत्ता का नाम ग्राम–चकलखनपुर के वोटर लिस्ट में है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी नं0–1 श्री गोपाल दत्ता एवं उसका परिवार सुन्दरपुर में रहते है। यह भी कहा गया कि विपक्षी के द्वारा चकलखनपुर के वोटर लिस्ट से अपना नाम को हटाये बिना सुन्दरपुर के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाया गया है। दोनों जगह के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विपक्षी नं0–1 श्री गोपाल दत्ता के विरूद्ध कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावे यह भी कहा गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–02/2005–06 में अंचल अधिकारी, हिरणपुर के द्वारा दिनांक 21.06.2006 को भेजे गये प्रतिवेदन में विपक्षी नं0–1 का स्थायी पता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के आदेश को निरस्त करते हुए पुनः विपक्षी नं0–1 श्री गोपाल दत्ता का स्थायी पता के संबंध में वे ग्राम सुन्दरपुर में रहते है या नहीं, उनके द्वारा किराना दुकान तथा अन्य चीजों का व्यवसाय है या नहीं एवं सुन्दरपुर गांव का वोटर है या नहीं की जांच अंचल अधिकारी, हिरणपुर को स्वयं करने के लिए वाद को रिमाण्ड करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी नं0–01 के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि मौजा– चकलखनपुर, थाना–हिरणपुर के ग्राम प्रधान विपक्षी नं0–01 श्री गोपाल दत्ता का पिता थे। उनकी मृत्यु 22.3.2005 को होने के पश्चात विपक्षी नं0–01 के द्वारा दिनांक 08.04.2005 का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–6 के तहत वंशानुगत के आधार पर ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के समक्ष आवेदन दिया गया था। जिसका पी0ए0वाद सं0–02/2005–06 संधारित हुआ। इसी पद पर नियुक्ति हेतु विपक्षी नं0–1 के अलावे हिंगाई सोरेन, मानसिंग मुर्मू, बालानन्द दत्ता एवं सोमलाल मुर्मू के द्वारा भी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–5 के तहत आवेदन दिया गया था। विज्ञ अनुमंडल

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	

पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा अंचल अधिकारी,हिरणपुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर वंशानुगत के आधार पर विपक्षी नं0–1 को उनके पिता के स्थान पर प्रधान नियुक्त किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध विपक्षी नं0–2 के द्वारा आर0एम0आर0 वाद सं0– 05/2005–06 एवं आवेदक के द्वारा आर0एम0आर0वाद सं0–06/2005–06 दायर किया गया था। विपक्षी नं0–2 ने अपने रिभीजन आवेदन में उल्लेख किया है कि उनका दादा मौजा–चकलखनपुर के ग्राम प्रधान थे। उनके मृत्यु के बाद उनके पिता अस्वस्थ रहने के कारण ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन नहीं दिया गया था। उनका यह भी कहना है कि विपक्षी नं0–1 ग्राम सुन्दरपुर का स्थायी निवासी है। निम्न न्यायालय द्वारा ग्राम प्रधान की नियुक्ति की प्रकिया में मौजा के 16 आना रैयतों का नोटिस भी नहीं किया गया। इसलिए दिनांक 13.07.2005 को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा पी0ए0वाद सं0–02/2005–06 के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।

विपक्षी नं0–1 के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक के द्वारा दिनांक 13.07.2005 को पारित आदेश के विरूद्ध रिभीजन वाद में जिक किया गया है कि मौजा–चकलखनपुर आदिवासी मौजा है। उस मौजा में कुछ गैर आदिवासी रैयत रहते है। विपक्षी नं0–1 उसी गांव के शिक्षित रैयत है एवं प्रधान के लिए उपयुक्त है। अंचल अधिकारी, हिरणपुर के द्वारा जांच हेतु 16 आना रैयतों को नोटिस किये जाने का कोई औचित्य नहीं बताया। चूंकि कर्मचारी द्वारा गांव में जाकर ही जांच किया है। इसके अलावे यह भी कहा गया कि उपायुक्त, पाकुड़ के न्यायालय के आर0एम0आर0नं0–05/ 2005–06 एवं आर0एम0आर0नं0–06/2005–06 को साथ में सम्मिलित करते हुए निम्न न्यायालय को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि नियुक्त ग्राम प्रधान के संबंध में आम सहमति प्राप्त कर वाद का निष्पादन करें। उक्त आदेश के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, हिरणपुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर एवं संतुष्ट होकर विपक्षी नं0–1 श्री गोपाल दत्ता को ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया है। जांच प्रतिवेदन के संबंध में कहा गया है कि अंचल अधिकारी, हिरणपुर के द्वारा सभी आवेदकों के अलावे गांव में ढोल बजाकर जानकारी दी गई थी। साथ ही जांच के समय एक बैठक भी हुआ था। उक्त बैठक में आम सहमति एवं लिखित रूप से विपक्षी नं0–1 श्री गोपाल दत्ता के पक्ष में सहमति दी गई है।

इनके द्वारा यह भी कहा गया कि उपायुक्त, पाकुड़ के न्यायालय के आर0एम0आर0वाद सं0–03/2007–08 जो आवेदक के तरफ से दायर है। उस वाद में भी विपक्षी नं0–श्री गोपाल दत्ता का पता ग्राम–चकलखनपुर दिखाया गया है, जिसे आवेदक स्वयं स्वीकार करते है।

आदेश की कम संख्या और तारीख
1

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1		

वोटर लिस्ट के संबंध में कहा गया कि 04–लिट्टीपाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के चकलखनपुर के संशोधित वोटर लिस्ट के कमांक 467 पर श्री गोपाल दत्ता का नाम है एवं आवेदक का नाम बीरग्राम के वोटर लिस्ट के कमांक 322 पर है। जिसकी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए कहा गया कि विपक्षी नं0–1 सुन्दरपुर का वोटर नहीं है तथा 1995 के चकलखनपुर वोटर लिस्ट में श्री गोपाल दत्ता का नाम कमांक 383 पर एवं आवेदक हिंगाई सोरेन का नाम बीरग्राम के वोटर लिस्ट के कमांक 258 पर है। उपरोक्त तर्क देते हुए विपक्षी नं0–1 श्री गोपाल दत्ता को ग्राम चकलखनपुर का स्थायी निवासी बताया गया है तथा आवेदक को चकलखनपुर का स्थायी निवासी नहीं होने तथा वे बीरग्राम का स्थायी निवासी बताया गया है। आवेदक के द्वारा वाद को रिमाण्ड करने हेतु दिए गए दलील के संबंध में कहा गया कि उपायुक्त के न्यायालय द्वारा विपक्षी नं0–1 श्री गोपाल दत्ता चकलखनपुर का स्थायी निवासी होने के कारण विपक्षी नं0–1 का पता के संबंध में रिमाण्ड आदेश में कोई आदेश नहीं दिया गया था। इनके द्वारा आवेदक के रिभीजन आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 26.07.2006 को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं दोनों पक्षों की ओर से दाखिल कागजातों के अवलोकन से तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा आर0एम0आर0 वाद सं0–05/2005–06 में दिनांक 07.02.2006 को दिए गए आदेश में प्रधान नियुक्ति हेतु निम्न न्यायालय द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के शिड्यूल–V के कंडिका–I के अनुपालन में रैयतों की आम सहमति नहीं लिये जाने के कारण निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए रिमाण्ड आदेश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में निम्न न्यायालय के डी0बी0नं0 253 दिनांक 30.05.2006 के द्वारा अंचल अधिकारी, हिरणपुर से निम्न न्यायालय के सभी आवेदकों एवं मौजा–चकलखनपुर के 16 आना रैयतों को सूचित करते हुए उक्त मौजा में ढोल बजाकर व्यापक प्रचार–प्रसार कर 16 आना रैयतों से सहमति प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक 213/रा0, दिनांक 21.06.2006 के द्वारा निम्न न्यायालय को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था। जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी की उपस्थिति में दिनांक 14.06.2006 को मौजा चकलखनपुर में प्रधान की नियुक्ति के मामले में 16 आना रैयतों की बैठक में उपस्थित एवं अनुपस्थित रैयतों का सहमति एवं असहमति संबंधी उपस्थिति कागजात में अपना मंतव्य अंकित किया गया है। अधिकांश जमाबन्दी रैयतों ने विपक्षी–1 श्री गोपाल दत्ता के पक्ष में प्रधान नियुक्ति हेतु अपनी सहमति व्यक्त किये है।

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... कार्रवाई ... टिप्पणी ...
1		

जिस बिन्दु पर रिभीजन वाद में रिमाण्ड आदेश दिया गया था, उस बिन्दु पर विपक्षी नं0–1 श्री गोपाल दत्ता के पक्ष में अधिकांश जमाबन्दी रैयतों का सहमति प्राप्त है। जहां तक विपक्षी नं0–1 श्री गोपाल दत्ता मौजा–चकलखनपुर में नहीं रहकर सुन्दरपुर में रहने के संबंध में आवेदक का दावा है, इस बिन्दु पर अंचल अधिकारी, हिरणपुर का जांच प्रतिवेदन एवं बैठक में जमाबन्दी रैयतों का सहमति एवं असहमति संबंधी अंकित किये गये मंतव्य से इस बात को सम्पुष्ट करता है कि श्री गोपाल दत्ता विपक्षी नं0–1 मौजा चकलखनपुर के ही निवासी है। वोटर लिस्ट के अवलोकन से 04–लिट्टीपाड़ा (अ0ज0जा0) निर्वाचक नामावली वर्ष 1995 एवं 2007 में विपक्षी–1 श्री गोपाल दत्ता का नाम अंकित है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी नं0–1 श्री गोपाल दत्ता के पक्ष में प्रधान नियुक्ति हेतु अधिकांश जमाबन्दी रैयतों का सहमति प्राप्त है। अतः आवेदक के रिभीजन आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
पाकुड़।

उपायुक्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.06 16:01:14 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner